तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./7558/2006/पाली लादूराम बनाम मनोजकुमार	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री गौरव दवे, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 27–09–2022

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सोजत जिला पाली द्वारा पत्रावली संख्या–21/93 बउनवानी बोहराराम बनाम लादूराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 17–10–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी को विचारार्थ ग्रहण करने एवं स्थगन प्रार्थनापत्र पर सुनी।

विद्वान अधिवक्ता निगरानी कर्ता का मुख्य तर्क यह है कि जब मृतक के वारीसान प्रार्थी है या नहीं विवाद है तो पहले विचारण न्यायालय को आदेश 22 नियम 5 सीपीसी के तहत जांच करनी चाहिए थी। निश्चित समय में एल.आर रिकार्ड पर नहीं लेने पर वाद अबेट हो चुका था फिर भी एल.आर की जांच किए बिना आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर वाद अबेट किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता गैर निगरानी कर्ता का तर्क है कि प्रार्थी ही एक मात्र वारिस है और देरी को कंडोन करते हुए सही तौर पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। तकनीकी आधारों पर प्रकरण का निस्तारण नहीं करना चाहिए। प्रकरण प्रतिवादी की साक्ष्य में है, देरी करने की नियत से ही यह निगरानी पेश की है, जो खारिज की जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में मूलवाद बोराराम पुत्र मगनाराम जी मेघवाल द्वारा लादूराम वगैराह जटिया के विरूद्ध खातेदारी घोषणा, कब्जा, निषेधाज्ञा का पेश किया था। दौराने वाद वादी फौत होने पर दिनांक 10–01–2006 को मनोज कुमार नामक व्यक्ति द्वारा मृतक का पुत्र होने की हैसियत बतौर विधिक उतराधिकारी प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसका प्रतिवादी व निगरानी कर्ता द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मनोज कुमार मृतक का पुत्र नहीं होना व सेना में भर्ती नहीं होने का सशपथ खण्डन किया और मनोहर लाल नामक व्यक्ति का पुत्र होना बताया है। ऐसी स्थिति में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./7558/2006/पाली लादूराम बनाम मनोजकुमार	नम्बर व तारीख
	मृतक बोराराम वादी का विधिक वारिस कौन है यह जांच का विषय हो जाता है। विचारण न्यायालय को आदेश 22 नियम 5 सीपीसी के तहत प्रारंभिक जांच करके ही आदेश 22 नियम 2 व 3 सीपीसी का निस्तारण किया जाना चाहिए था जबकि प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का विधिक भूल की है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी आदेश दिनांक 17–10–2006 को अपास्त किया जाता है व विचारण न्यायालय को निर्देश जाते है आदेश 22 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के तहत जांच करने के पश्चात ही प्रार्थना–पत्र का विधि अनुसार गुणावगुण पर मियाद के बिन्दू पर उदारता बरते हुए प्रार्थना दिनांक 10–01–2006 पुनः आदेश पारित करे। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत के न्यायालय में दिनांक 12–10–2022 को उपस्थित हो। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	